भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2931

दिनांक 06.08.2025 को उत्तर देने के लिए

सेहर कार्यक्रम

2931. श्री बैजयंत पांडा:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेहर कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को वित्तीय और ऋण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन समुदाय की महिलाओं को कोई विशिष्ट लाभ प्रदान करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए कोई जागरुकता पहल की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ङ) सेहर एक ऋण शिक्षा कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत महिलाओं को उद्यमिता से संबंधित वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए नीति आयोग की पहल के तहत ट्रांसयूनियन सिबिल द्वारा की गई है। यह कार्यक्रम समावेशी है और सभी महिलाओं के लिए सुलभ है। सेहर कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण जागरूकता मॉड्यूलों का प्रचार-प्रसार फिजिकल और डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल के रूप में, यह सरकार के मंत्रालयों/विभागों और अन्य उद्योग हितधारकों के साथ कार्य करने का प्रयास करता है। अब तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एमएसएमई कार्य निष्पादन में वृद्धि व गति लाने (आरएएमपी) वाली योजना तथा सिडबी के सहयोग से क्लस्टर-स्तरीय ज्ञान साझाकरण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। भारत सरकार की ओर से सेहर कार्यक्रम के लिए विशिष्ट आवंटन प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

*****